भारत सरकार
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय
उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग
लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या: 1818

बुधवार, 13 दिसंबर, 2023 को उत्तर दिए जाने के लिए

मेक इन इंडिया कार्यक्रम

1818. श्री धनुष एम. कुमार:
श्री जी. सेल्वम:

क्या **वाणिज्य और उद्योग मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार द्वारा घोषित मेक इन इंडिया (एमआईआई) कार्यक्रम की वर्तमान स्थिति क्या है,
(ख) इस कार्यक्रम में कार्य करने के लिए आगे आने वाली विनिर्माण कंपनियों की संख्या क्या है तथा तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ग) देश में विनिर्माण में इन लाभों का उपयोग करने वाली विदेशी कम्पनियों को दिए गए प्रोत्साहन और राजसहायता का ब्यौरा क्या है; और
(घ) देश में विशेषकर तमिलनाडु में स्थापित विनिर्माण यूनिटों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर
वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री
(श्री सोम प्रकाश)

(क) से (घ): 'मेक इन इंडिया' एक पहल है, जिसकी शुरुआत 25 सितंबर, 2014 को की गई थी। इसका उद्देश्य, निवेश में सहायता करना, नवप्रयोग को प्रोत्साहित करना, सर्वोत्तम अवसंरचना का निर्माण करना तथा भारत को विनिर्माण, डिजाइन और नवप्रयोग का केंद्र बनाना है। यह अपनी तरह की एक विशिष्ट "वोकल फॉर लोकल" पहल है, जिसने विश्व के समक्ष भारत की विनिर्माण क्षमताओं का प्रचार-प्रसार किया है। वर्तमान में, मेक इन इंडिया 2.0 के अंतर्गत 27 क्षेत्रों पर मुख्य रूप से ध्यान केंद्रित किया गया है, जिसे विभिन्न मंत्रालयों और विभागों तथा राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित किया जाता है।

केंद्र सरकार के अनेक मंत्रालयों/विभागों और विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा भी मेक इन इंडिया पहल के अंतर्गत कार्यकलाप किए जा रहे हैं। मंत्रालय, अपने अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों के लिए कार्य योजनाएं, कार्यक्रम, स्कीमें और नीतियां तैयार करते हैं। साथ ही, निवेश को आकर्षित करने के लिए राज्यों की भी अपनी स्कीमें हैं। यद्यपि 'मेक इन इंडिया' पहल वि भिन्न मंत्रालयों/विभागों और राज्य सरकारों द्वारा कार्यान्वित की जाती है, इसलिए इस पहल के अंतर्गत आने वाली विनिर्माण कंपनियों की संख्या संबंधी सूचना केंद्रीय रूप से नहीं रखी जाती।

वि भिन्न विभागों और मंत्रालयों में चल रही स्कीमों के अलावा, सरकार ने प्रोत्साहन/लाभ/ सब्सिडी इत्यादि के संबंध में भारत में घरेलू तथा विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न कदम उठाए हैं। इनमें वस्तु और सेवा कर की शुरुआत, कॉर्पोरेट कर में कमी, ईज ऑफ डूइंग बिजनस में सुधार, एफडीआई नीति संबंधी सुधार, अनुपालन बोझ में कमी के लिए किए गए उपाय, सार्वजनिक अधिप्राप्ति आदेश, चरणबद्ध

विनिर्माण कार्यक्रम (पीएमपी) और क्यूसीओ (गुणवत्ता नियंत्रण आदेश) के माध्यम से घरेलू विनिर्माण को बढ़ावा देने के उपाय करना इत्यादि शामिल हैं।

भारत की विनिर्माण क्षमता और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए 14 प्रमुख क्षेत्रों के लिए उत्पादन सम्बद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) स्कीम (1.97 लाख करोड़ रुपए के प्रोत्साहन परिव्यय के साथ) का कार्यान्वयन किया जा रहा है। पीएलआई स्कीमों की घोषणा से, अगले पांच वर्षों तथा उसके बाद की अवधि के दौरान उत्पादन, कौशल, रोजगार, आर्थिक वृद्धि तथा निर्यात में महत्वपूर्ण बढ़ोत्तरी होने की संभावना है। पीएलआई स्कीमों के अंतर्गत आने वाले लाभार्थियों में विदेशी कंपनियां भी शामिल हैं।

उद्योग राज्य का विषय है। नई विनिर्माण कंपनियों की स्थापना, व्यवसाय रणनीति पर निर्भर करता है। अत:, नई विनिर्माण कंपनियों की स्थापना से संबंधित आंकड़े केंद्रीय रूप से नहीं रखे जाते हैं। तथापि, पीएलआई स्कीम के तहत तमिलनाडु सहित पूरे देश में 14 क्षेत्रों में 746 आवेदनों को अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है।

*****